आरबीई सं. 42/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2015/ईएम 1-37 **रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 27/04/2016**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: सेवानिवृति के बाद व्यावसायिक रोजगार के लिए पेंशनरों को अनुमति देने की प्रक्रिया - फॉर्म 1 में संशोधन।

जैसाकि रेल प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 11 के अनुसार, सेवानिवृति के एक वर्ष के भीतर व्यावसायिक रोजगार प्राप्त करने का प्रस्ताव करने वाले सेवानिवृत्त रेल सेवकों को सरकार से अनुमति लेना अपेक्षित होता है। उन्हें अनुमति लेने के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के फॉर्म 1 में आवेदन करना अपेक्षित होता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उक्त नियम के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म 1 की अब समीक्षा की गई है। संशोधित फॉर्म 1 संलग्न है।

2. संशोधित फॉर्म में नियम 11 के उपनियम 3 के खण्ड(ख) से (च) में निर्धारित शर्तों को शामिल किया गया है। जैसाकि बोर्ड के दिनांक 19/9/2007के पत्र सं. ई(जी)2007/ईएम1-1 के तहत जारी अधिसूचना की घोषणा में की गई व्यवस्था के अनुसार अब कोई शपथ-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

3. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. इसके बाद नियम की औपचारिक अधिसूचना भेजी जाएगी।

डी जोसफ़
(डी. जोसफ़)
उप निदेशक स्था (सा.)

सं. ई(जी)2015/ईएम 1-37 रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 27/04/2016

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40प्रतियों सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(जी)2015/ईएम 1-37 रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 27/04/2016

प्रतिलिपि प्रेषित

1) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ
5) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन
6) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ग्रुप बी ऑफिसर्स एसोसिएशन
7) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन

प्ररूप 1

संशोधित

रेल अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के संबंध में अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप.

{रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 का नियम 11(1)}

क. अधिकारी का ब्यौरा

1	पेंशनभोगी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2	सेवानिवृत्ति की तारीख	
3	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की विशिष्टयाँ, जिसमें अधिकारी ने सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 5 वर्षों के दौरान सेवा की है. (अवधि लिखिए.)	
4	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद और वह अवधि जिस समय तक वह धारण किया गया.	
5	पद का वेतनमान/पे बैण्ड तथा ग्रेड पे और सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी द्वारा लिया गया वेतन.	
6	पेंशनिक फायदे. (क) स्वीकृत/प्रत्याशित सकल मासिक पेंशन (ख) संराशीकरण, यदि कोई हो. (ग) उपदान, यदि कोई हो.	
ख.	**प्रत्याशित नियोजन के ब्यौरे**	
7	ऐसे नियोजन के ब्यौरे जिसके स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है:- (क) (i) संगठन/फर्म/कंपनी/सहकारी समिति, आदि का नाम. (ii) संगठन का संक्षिप्त स्वरूप	

	(iii) संगठन के पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता (iv) संगठन की स्थाई लेखा सं. (पैन अथवा कर पहचान सं. (टीआईएन) अथवा रजिस्ट्रीकरण सं. (ख) फर्म द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद/फर्म द्वारा किए जा रहे कारोबार का प्रकार इत्यादि (ग) क्या अधिकारी ने अपने पिछले तीन वर्षों के सेवाकाल के दौरान फर्म या कंपनी या को-ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोई व्यवहार आदि किया था. (घ) फर्म के साथ शासकीय व्यवहारों की अवधि और प्रकृति (ड.) प्रस्तावित कार्य/पद का नाम. (च) क्या पद को विज्ञापित किया गया था, यदि नहीं, तो प्रस्ताव किस प्रकार किया गया था (विज्ञापन से संबंधित समाचार पत्र की कतरन और नियुक्ति प्रस्ताव भी, यदि कोई हो, एक प्रति संलग्न की जाए.) (छ) कार्य/पद के कर्त्तव्यों का वर्णन कार्य/पद के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक (ज) यदि व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, तो निम्नलिखित बताएं : (i) व्यवसाय के क्षेत्र में वृत्तिक अर्हता. (ii) प्रस्तावित व्यवसाय की प्रकृति.	
8.	ऐसी कोई जानकारी जो आवेदक अपने अनुरोध के समर्थन में देना चाहता है.	

9. घोषणाः

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ किः-

(क) मैं सेवा के पिछले तीन वर्षों में संवेदनशील या सामरिक महत्व की सूचना के संपर्क में नहीं रहा हूँ, जो उस संगठन के हित या कार्य क्षेत्रों से सीधे तौर पर संबंधित है जिसे मैंने ज्वाइन करने का प्रस्ताव किया है या वह क्षेत्र जिसमें मेरी प्रैक्टिस या परामर्श करने का प्रस्ताव है.

(ख) प्रस्तावित नियोजन से पिछले तीन वर्षों के दौरान मेरे द्वारा धारित पद से जुड़े हुए नीतिगत मामलों के साथ हित का टकराव नहीं होगा और वह संगठन जिसे ज्वाइन करने का मैंने प्रस्ताव किया है, द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मामलों या किए जाने वाले कार्य का सरकार की कार्य प्रणाली के साथ टकराव उत्पन्न नहीं होगा.

(ग) वह संगठन जिसमें मैं नियोजन चाह रहा हूँ, उन गतिविधियों में शामिल नहीं है जो भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के लिए हानिकारक हो। संगठन आसूचना संग्रह करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं है। संगठन में वह नियोजन जिसे मैंने स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है, भी उन गतिविधियों के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसमें भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के लिए हानिकारक गतिविधियाँ शामिल हैं।

(घ) मेरा सेवा का रिकॉर्ड विशेष रूप से सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ संव्यवहार के संबंध में स्पष्ट है.

(ङ.) प्रस्तावित परिलब्धियाँ और वित्तीय लाभ इंडस्ट्री के मानदंडों के अनुरूप हैं।

(च) मैं सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति की स्थिति में व्यावसायिक नियोजन वापस लेने के लिए सहमत हूँ।

10. वचनबद्धता

मैं एतदद्वारा विधिवत घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई तथ्यपरक सूचना छुपाई नहीं गई है. कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में बिना कोई कारण बताए अनुमति वापस ली जा सकती है और सरकार रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 और आपराधिक कार्यवाही के तहत कार्रवाई सहित बिना पूर्वाग्रह के कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है जिसे सरकार उपयुक्त समझेगी.

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....